

घोस्ट अन्याय गौपाल


हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

न्याय या कार्यवाही
अनुदान को इस
हुकम की सामान्य
वे जारी हो

दिनांक


28/5/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि. उप.) ज़ातीबादीगण
के नोटिस बार तामील भण्डार) वादी आदिबन्दा
ज़ातीबादीगण के नोटिस आवश्कक रूप से आगामी
पेशी पर पुनः पेश करे। पत्रावली वास्ते ललनी दिनांक
11/6/25 को पेश हो।


28/5/25

11/6/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया
हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश
दिनांक 17/6/25 को पेश हो।


अम्ला से शेर

17/6/25


पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया
हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश
दिनांक 8/7/25 को पेश हो।


अम्ला से शेर

8/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि. एवं वादी अनुपस्थित।
वादी एवं वादी आदिबन्दा को नियमानुसार तीनबार
आवाजे लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण
एवं वादी आदिबन्दा के उपस्थित नहीं आने पर वादी
एवं वादी आदिबन्दा को न्यायाधीश के पुनः एक बार
आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। समझ
5-50 PM के चुका है। वादी एवं वादी आदिबन्दा
के उपस्थित नहीं आने पर वादी द्वारा उल्लेखित वाद
अन्तर्गत भाग 53, 188 कावस्थान का रकबा की
आदिबन्दा की मदम हाजरी। मदम पत्रकी के
स्थापित किया जाता है। निर्णय को उपस्थित सुनाया
गया। पीठो पर्याप्त वादी हो।

पत्रावली माल सुमार लेकर
दाखिल दफ्तर हो तथा तम्बर से कम हो।


8/7/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. छोटु पुत्र पेमा खाती उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. देबी लाल पुत्र रामचन्द्र खाती उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नन्दु देवी पत्नी पेमा खाती उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. प्रेम पुत्री नन्दकिशोर खाती उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. भागुती पुत्री पेमा खाती उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राधा पत्नी लादूलाल खाती उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. लादू पुत्र नन्दकिशोर खाती उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. सम्पत पुत्र पेमा खाती उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. सीता पुत्री पेमा खाती उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. सोसर पत्नी नन्दकिशोर खाती उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र नानू खाती उम्र वयस्क निवासी किरतपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पुत्र नानू खाती उम्र वयस्क निवासी किरतपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बालू पुत्र पेमा खाती उम्र वयस्क निवासी किरतपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज0)


— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 10/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अमित कोठारी अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 08.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा